Depart: Meneral 22 fan 86, A1-164 à 19490 Animi à Delhi-Jendi 23 fan. à 10445. Retour: Demanch 23 fev. Delhi à 9455. IND/4'86

तार: "आकाशवाणी" Telegram: "AKASHVANI"

ENGLISH TALK

भारत सरकार

आकाशवाणी

Government of India

## All India Radio

वार्ता/लघु कथा शाखा

(Talks / Short Story Branch)

 सं॰ No. BOM-15TE(4)86-PI

(पैरा 5-10-11/5-10-15 देखिए)

(See Paragraph 5-10-11/5-11-15)

आकाशवाणी-कार्यक्रम-1

AIR-P-1

दिनांक Dated 7-2-86

महोदय/महोदया, Dear Sir / ऋबिक्रक,

इस पत्र के पीछे छपी शर्तों पर हम नीचे लिखे विषय, दिनांक और समय पर आपकी वार्तां/लघुकथा सहर्ष प्रसारित करेंगे। कृपयो संलग्न पुष्टिपत्र पर हस्ताक्षर कर के हमको लौटती डाक से भेज दीजिए। इसके लिए हम आपके आभारी होंगे।

We shall be pleased to broadcast your talk(s) / short story on the subject, date and time detailed below upon the conditions printed overleaf. We shall be obliged if you could kindly sign and return the attached confirmation sheet \*\*\* \*\* immediately\*\*

शीर्षक OUR GHEST TO NIGHT TO HE IN ERVIEWED IN ENGLISH \*TITLE दिनांक RECORDING UN 9-2-86 Date(s) प्रसारण का समय As & when required Time of Broadcast प्रसारण की अवधि 14 mts Duration प्रसारण का स्थान ALL INDIA RADIO : BUMBAY Place of Broadcast शल्क ६० B. 125/- (RUPRES ONE HUNDRED TWENTY FIVE ONLY ) Fee Rs. वनवर्ती प्रसारण शुल्क Rs. 31.25 (RUPEES THIRTY ONE & PAISE TWENTY FIVE ONLY) Subsequent Broadcast Fee

(इस पत्र के नीचे छपी शत्तों के खण्ड 4(क) / 4 (ख) के अध्याघीन)
(Subject to Clause 4 (a) / 4 (b) of conditions printed below.

हमारा विशेष निवेदन यह है कि आप कृपया इस शर्त का पालन करके हमारी सहायता करें कि प्रसारण के लिए जो तारीख नियत की गई है उससे कम से कम दस दिन पहले वार्ता/लघुकथा की पांडुलिपि केन्द्र निदेशक के पास पहुंच जाए। इस शर्त का पालन न होने पर केन्द्र के सामान्य कार्यचक्र में गंभीर अवरोघ पैदा हो जाता है।

We would particularly ask you to assist us by complying with the condition that the manuscript of the talk / short story should be in the hands of the Station Director not less than 10 days before the date fixed for the Broadcast The normal routine of the Station is seriously hampered if this condition is not observed.

स्टेंप शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
The Stamp Duty will be borne by the Government.

हते केन्द्र निर्देशक,

भवदीय, Yours falthfully

For Station Director भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी कोर से For and on behalf of the President of India

<sup>\*</sup>लघ्कथा के मामले में लेखक उसका शीर्षक यहां भरें।

<sup>\*</sup>In case of Short Story, the title of the Short Story will be filled in by the author.

बाकाशवाणी के सभी केन्द्रों और विदेश प्रसारण प्रभाग द्वारा वार्ताओं /लघुकयाओं के प्रसारणार्थ अनुबंध करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला फार्म।

- 1. यदि नियत तारीख तक हस्ताक्षर किया हुआ स्वीकृति-पत्र प्राप्त न हुआ तो आकाशवाणी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्ताव वापस छे है।
- 2. अनुबंध इस शतंं के अध्यधीन है कि प्रसारण के लिए नियत तारीख से कम से कम दस दिन पहले अंतिम पांडुलिपि (यों) को केन्द्र निदेशक की स्वीकृति मिल जाए। स्वीकृति हो जाने पर पांडुलिपि (यां) आकाशवाणी की संपत्ति होगी/होंगी।
- 3. जिस रूप में वार्ता (एं) /लघुकथा (ए) प्रसारित होंगी वह आकाशवाणी द्वारा स्कीकृत पांडुलिपि के अनुरूप होगा।
- 4 अनुबंध शुल्क में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में और विदेश प्रसारण सेवा के मामले में विदेशी भाषाओं में प्रसारण के अधिकार शामिल हैं और यह अधिकार भी शामिल है कि आकाशवाणी के स्वदेश प्रसारण कार्यक्रमों/विदेश प्रसारण कार्यक्रमों में साथ-साथ अथवा अनुवर्ती प्रसारणों के लिए अथवा किसी अनन्य प्रसारण-संगठन द्वारा वार्ताओं/लघुकथाओं की यांत्रिक पुनारावृत्ति की जा सकेगी। वार्ता (ओं) के लिए दिए जाने वाले शुल्क में यह अनन्य अधिकार भी शामिल होगा कि वार्ता (ओं) के प्रथम प्रसारण की तारीख के तुरन्त बाद तीन महीने तक या तो उसके (उनके) किसी अश को अथवा समस्त वार्ता को अथवा उसके संक्षिप्त रूप या अनुवात को भारत में वितरनाथ अधिकार में या किसी भारतीय माथा में प्रकाशित किया जा सकेमा अथवा प्रकाशित करने की अनुमित दी जा सकेगी। तीन महीने की उक्त अविध के बीत जाने पर प्रकाशनिधकार लेखक को इस शर्त के साथ वापस मिल जायगा कि लेखक के साथ-साथ आकाशवाणी को भी यह अधिकार रहेगा कि वह अपने संकलनों में और/या कार्यक्रम पत्रिकाओं में संबन्ध प्रयोजनों के लिए उक्त वार्ताओं अथवा उसके उद्घरणों/सारांश को प्रकाशित कर सके इस शुल्क में यह समवर्ती अधिकार भी शामिल होगा कि वार्ता (ओं) के किसी अंश अथवा समस्त वार्ती को विदेशों में वितरणार्थ अंग्रेजी में या किसी भी विदेशी भाषा में प्रकाशित किया जा सकेगा या प्रकाशित करने की अनुमित दी जा सकेगी।
  - 4(क) यदि कोई वाती छघुकथा, चाहे मूलत: उसका अनुबंध विदेश प्रसारण के लिए हुआ हो या स्वदेश प्रसारण के लिए, स्वदेश कार्यकर्मों में पुन: प्रसारित की जाएगी, तो प्रत्येक अनुवर्ती प्रसारण के लिए वार्तांकार/लेखक को अनुबंध में विनिर्दिष्ट पुन: प्रसारण शुल्क अदा किया जाएगा। आकाशवाणी के एक से अधिक प्रेषित्रों से एक साथ होने वाले प्रसारणों को इस उद्देश्य के लिए एक ही प्रसारण गिना जाएगा।
  - 4(स) यदि कोई वार्तां/लघुकथा, चाहे मूलत: उसका अनुबंध विदेश प्रसारण के लिए हुआ हो या स्वदेश प्रसारण के लिए विदेश प्रसारण सेवा में मूल रूप में अथवा किसी भारतीय या भारतीयेतर भाषा में पुन: प्रसारित की जायगी तो पुन: प्रसारण हेतृ अनुबंध शुल्क वार्तांकार/कहानीकार को अदा किया जायगा बाशतें कि यह पुन: प्रसारण विदेश कार्यक्रमों अथवा स्वदेश कार्यक्रमों में उक्त वार्तां / लघुकथा के प्रथम प्रसारण के 30 दिन पश्चात् किया गया हो । आकाशवाणी के एक से अधिक प्रेषित्रों से एक साथ होने वाले प्रसारणों को इस उद्देश्य के लिए एक ही प्रसारण गिना जाएगा।
- 5. बातौकार/लेखक एतद्वारा यह प्रमाणित करता है कि उक्त वातौ /लघुकथा में प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी है और उसमें उसका प्रतिलिप्याधिकार अभी मौजूद है और एतद्वारा मंजूर किए गए अधिकारों में किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कम्पनी का साझा नहीं है और उक्त वार्ता/लघुकथा (न ही इसका कोई भाग) किसी भी प्रकार से विश्व के किसी मौजूदा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन या अतिकमण नहीं है और वार्ताकार / लेखक यह वचन देता है कि यदि कोई विपरित दावे या मांगें हुई तो वह आकाशवाणी को हजाँना मरेगा।
- 6. बाकाशवाणी की यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध को किसी भी समय समाप्त कर दे बशते कि अनुबंध समाप्त करने की तारीख को जितना कार्य पहले हो चुका होगा उसके अनुपात में श्रुल्क की अदायगी करनी होगी अथवा कोई वैकल्पिक आवन्य देना होगा जिसका निर्णय स्थय आकाशवाणी ही करेगी । यदि बीमारी की बजह से या अन्य किसी कारण से वार्ताकार/लेखक वार्ता/लघुकथा को स्थयं प्रसारित न कर सके, तो आकाशवाणी वार्ता/लघुकथा को स्थयं प्रसारित कर सकती है वसर्वे कि वार्ताकार/लेखक को उस अनुपात में शुल्क अदा करना होगा जिसका निर्णय आकाशवाणी करेगी ।
- 7. यदि वार्ताकार/लेखक सरकारी कर्मचारी हुआ तो उसकी वार्ता/लघुकचा का प्रसारण और उसको सुल्क का भुगतान उन नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा जो उक्त वार्ता/लघुकचा के प्रसारण के समय ऐसे सारणों पर लागू होते होंगे।
- 8. वार्ताकार/लेखक के साथ यह करार उसके इस अभिवेदन के आधार पर किया जा रहा है कि एतद्वीन जिन अधिकारों को प्रदत्त करना तार्पियत है वैसा करने का उसे अच्छा अधिकार, पूर्ण शक्ति और आस्यान्तिक प्राधिकार है और उसने उन अधिकारों का कोई और व्योहार नहीं किया है।
- 9. लेखक एतद्वारा यह प्रमाणित करता है कि भारत में किसी भी अन्य प्रसारण केन्द्र से यह कहानी, किसी मिल्न कीर्षक से अथवा अन्य किसी तरह से न तो प्रसारित हुई है और न प्रसारित होने के लिए स्वीकृत हुई है।